राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 911वी बैठक दिनांक 13.11.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 911वी बैठक दिनांक 13.11.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9580/2023	1(a)	रायसेन	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	9832/2023	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/1147/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/1503/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P2/1518/2025	1(a)	खरगौन	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/1640/2025	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/1641/2025	1(a)	रतलाम	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	P2/1645/2025	1(a)	खरगौन	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	P2/1576/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/1522/2025	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11.	6053/2019	1(a)	अनूपपुर	ग्रेनाईट खदान	Ammendment in EC	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
12.	P2/1716/2025	1(a)	रीवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
13.	P2/1715/2025	1(a)	दतिया	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P2/1713/2025	1(a)	अशोकनगर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	10809/2023	1(a)	रायसेन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	P2/21/2023	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
17.	P2/1332/2025	1(a)	सागर	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	8851/2021	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
19.	P2/279/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
20.	P2/305/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

नीतिगत निर्णय – भवन निर्माण 8(a) एवं एरिया डेव्हलपमेन्ट 8(b) गतिविधियों की परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों बावत्।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 911वी बैठक दिनांक 13.11.2025 का कार्यवाही विवरण

1. Proposal No.: SIA/MP/MIN/521823/2025, Case No 9580/2023 Prior Environment Clearance for Flagstone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 1.00 ha. for Production Capacity of 1200 m3/ year, at Khasra No. 254/1, Village Murel Kalan, Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP) by Shri Ram Singh Ahirwar S/o Shri Imarat Singh Ahirwar, R/o Village-Murel Kalan, Post-Murel Khurd, Tehsil-Raisen, DistrictRaisen(MP)-464551

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **815वी बैठक दिनांक 29.07.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 815वी बैठक दिनांक 29.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश कमांक 6042–44 दिनांक 29.04.2022 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.04.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त भोपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04/09/2021 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तो का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(ix) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2. Proposal No.: SIA/MP/MIN/522329/2025, Case No 9832/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for Production Capacity of 2964 Cum per annum, at Khasra No. 583 Village-Buranabad, Tehsil-Khachrod, District-Ujjain (MP) by Smt. Neetu Sharma, 36, Gopalkunj, Ramdwara ke Piche, Khachrod, District-Ujjain (MP)-456224

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **816वी बैठक दिनांक 02.08.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 816वी बैठक दिनांक 02.08.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्रमांक 16395–97 दिनांक 29.11.2022 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 09 वृक्षों में से काटे जाने वाले 03 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 30 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

3. Case No.: P2/1147/2025, Prior Environment Clearance for Proposed Commercial Project "BCM Imperial Tower", at Khasra No. 47/2/1, Nipania, Indore, (M.P.) by Shri Shailesh Verma, Director, Shubh-Shanti Real build Private Limited, M-1, BCM Heights, SH. Badalchand Mehta Marg, Vijay Nagar, Indore (M.P.) 452001, Plot Area- 10124.55sq.mt. and Total Built-up Area-35256.76sq.mt. SIA/MP/INFRA2/519530/2025.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 816 वी बैठक दिनांक 02.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :—

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :—

1. प्रस्तावित वाणिज्यिक परियोजना "**BCM Imperial Tower**", खसरा नंबर 47/2/1, ग्राम निपानिया, तहसील इंदौर, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है। यह परियोजना श्री शैलेश वर्मा, निदेशक, शुभ–शांति रियल बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, एम–1, बीसीएम हाइट्स, श्री बदलचंद मेहता मार्ग, विजय नगर, इंदौर (म.प्र.) 452001 द्वारा विकसित किए जाने हेतु प्रस्तावित है।

2. परियोजना का कुल भू–क्षेत्र 10,124.55 वर्गमीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्र 35,256.76 वर्गमीटर है, जो कि 1,50,000 वर्गमीटर से कम है। इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना में आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं पूर्ण विचारोपरांत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 816 वी बैठक दिनांक 02.08.2025 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से viii विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

i. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल प्रदाय अनापत्ति, ठोस अपशिष्ठ व्यवस्थापन एवं Treated Waste Water व्यवस्थापन संबंधी अनुमतियों की प्रति पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। यदि उक्त अनुमतियां परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

ii. **परियोजना अंतर्गत वृक्ष मानचित्रण (Tree Mapping) का प्रावधान किया जाए तथा पर्यावरण स्वीकृति (Environmental Clearance) जारी होने के 15 दिवस के भीतर उसका विवरण एवं मानचित्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।**

iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

iv. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

viii. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. Case No. P2/1503/2025: Prior Environment Clearance for Proposed construction of warehouse project "Kamakhya Industrial & Logistics Parks Private Limited" Plot No. - A-2, Smart Industrial Township Pithampur Sector-7, Village – Salempur, Tehsil – Depalpur, Distt. Indore (M.P.) by Shri Arul Murugan, General Manager, M/s Kamakhya Industrial & Logistics Parks Private Limited, 9th Floor, Iconic Building, Urmi Estate, Lower Parel (West),Mumbai, (Maharashtra.)–400013, Total Plot area– 80,936.45 sq.m.(8.0936 Ha.), Total Built up Area – 46,350.85 sq mt. SIA/MP/INFRA2/535444/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 816 वी बैठक दिनांक 02.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. प्रस्तावित Warehouse Project "Kamakhya Industrial & Logistics Parks Private Limited" Plot No. A-2, Smart Industrial Township Pithampur Sector-7, ग्राम सलेमपुर, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (मध्यप्रदेश) में स्थित है। इस परियोजना को विकसित किए जाने हेतु आवेदन श्री अरुल मुरुगन, महाप्रबंधक, M/s Kamakhya Industrial & Logistics Parks Pvt- Ltd-] 9वीं मंज़िल, आइकॉनिक बिल्डिंग, उर्मी एस्टेट, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई 400013 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना का कुल भू–क्षेत्र 80,936.45 sq.m. (8.0936 Ha.), कुल निर्मित क्षेत्र 46,350.85 sq.m. है। इस परियोजना का कुल भू–क्षेत्र 50,000 वर्गमीटर से कम है जो कि 1,50,000 वर्गमीटर से कम है। इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना में आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/535444/2025.
2.	Project Name/Activity	**Shri Arul Murugan, General Manager, M/s Kamakhya Industrial & Logistics Parks Private Limited, 9TH FLOOR, ICONIC BUILDING, URMI ESTATE, LOWER PAREL (WEST), MUMBAI, (MAHARASTRA.), – 400013,** *Prior Environment Clearance for Proposed construction of warehouse project "Kamakhya Industrial & Logistics Parks Private Limited" is Proposing a Warehouse Project at Plot No. - A-2, Smart Industrial Township Pithampur Sector-7, Village – Salempur, Tehsil – Depalpur, Distt. - Indore (M.P.).* ***Total Plot area – 80,936.45 sq.m.****(8.0936 Ha.),* ***Total Built up Area – 46,350.85 sq mt. Cat. - 8(a). Building and Cons. Projects.*** SIA/MP/INFRA2/535444/2025.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	Project Proposal For	New.
4.	Total built-up area	Warehouse project - 46,350.85 sq mt.
5.	Lease deed Land Allotment	**RO,MPIDC, Indore dated 03/04/2025 (03/04/2025 to 02/01/2124).**
6.	Land Allotment letter Copy	**MPIDC/RO/Indore/2024 dated 22/10/2024.**
7.	Project Cost.	105.13Cr. (approx.).
8.	Description of Project	M/s Kamakhya Industrial & Logistics Parks Private Limited is proposing a warehouse project at Plot No. A-2, Smart Industrial Township Pithampur Sector-7, Indore (M.P.).
9.	Form 1A & Conceptual Plan	Submitted by PP (Copy upload on Parivesh Portal)..
10.	Declaration regarding No Construction status	• PP Affidavit submit dated 29/01/2025 No Construction start at project site.
11.	Lat./Log. (As per Form-1)	Latitude - 22°40'38.72"N Longitude - 75°37'50.75"E.
12.	Total parking area	8260.33 m^2
13.	Number of vehicle to be parked	Open Parking-189 ECS. Total Parking– 189 ECS.
14.	Water requirement details	Total water requirement -98 KLD Fresh water supply – 58 KLD.
15.	Water Supply NOC details	PP submit rwquest letter copy vide Letter No. Nil dated 25/04/2025.
16.	CTE details	PP Apply (Information uploaded on Parivesh Portal).
17.	DG set capacity (As per Form-1)	DG set will be provided as a backup power source 2x 320 KVA.
18.	Environmental Consultant Change	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 19. 02 2028.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 911वी बैठक दिनांक 13.11.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं पूर्ण विचारोपरांत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 816 वी बैठक दिनांक 02.08.2025 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु **i** से **xii** विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को **EIA** अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल प्रदाय अनापत्ति, ठोस अपशिष्ठ व्यवस्थापन एवं Treated Waste Water व्यवस्थापन संबंधी अनुमतियों की प्रति पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। यदि उक्त अनुमतियां परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

ii. परियोजना अंतर्गत वृक्ष मानचित्रण (Tree Mapping) का प्रावधान किया जाए तथा पर्यावरण स्वीकृति (Environmental Clearance) जारी होने के 15 दिवस के भीतर उसका विवरण एवं मानचित्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

iii. परियोजना में ताज़ा जल का उपयोग केवल **58 KLD** अधिकृत स्रोत से किया जाए।

iv. वर्षा जल संचयन हेतु कम से कम **07 recharge pits** विकसित किए जाए तथा सभी पिट्स पर जाली/फिल्टर की व्यवस्था होगी। स्टॉर्म वॉटर को प्रभावी नेटवर्क के माध्यम से संचालित किया जाए।

v. परियोजना में **LED** फिटिंग्स, ऊर्जा दक्ष उपकरण, सोलर स्ट्रीट लाइट्स तथा **EV** चार्जिंग पॉइंट्स का प्रावधान **PP** द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

vi. कुल भूखण्ड क्षेत्र के न्यूनतम **33%** में स्थानीय प्रजातियों से सघन ग्रीनबेल्ट विकसित की जाए।

vii. परियोजना हेतु **189 ECS Parking** उपलब्ध कराई जाए तथा विस्तृत ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार की जाए, जिससे आसपास की सड़कों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

viii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

ix. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 (यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। भवनों के चारों ओर फायर ब्रिगेड के वाहन को घूमने हेतु पर्याप्त चौड़ाई के मार्ग बनाना अनिवार्य होगा।

x. परियोजना प्रस्तावक **ecological damage, natural resource augmentation and community resource augmentation** योजनाओं को प्रस्ताव के अनुसार सुनिश्चित समय–सीमा में क्रियान्वित करना होगा और इसका प्रतिवेदन प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

xi. निर्माण चरण में **dust suppression**, बैरिकेडिंग, ढ़ँकी सामग्री एवं **acoustic DG sets** का उपयोग अनिवार्य होगा।

xii. परियोजना में **CER** गतिविधियाँ OM दिनांक **01.05.2018** के प्रावधानों के अनुसार की जाए तथा संबंधित स्थानीय प्रशासन/ग्राम पंचायत से परामर्श कर कार्यो का चयन किया जाए। प्रस्तावित CER गतिविधि योजनाओं की वर्षवार प्रगति रिपोर्ट अनुपालन प्रतिवेदन में फोटोग्राफ़ सहित प्रस्तुत की जाए।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

5. Proposal No.: SIA/MP/MIN/537039/2025 Case No. P2/1518/2025 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for Production Capacity of of 5,000 m3/year, at Khasra No. 97/1 (Pvt. land) Village -Jamnaya, Tehsil- Maheshwar, District- Khargone (M.P.) by Shri Madhusudan S/O Shri Suresh Yadav R/O: Village Karhi Tehsil Maheshwar District Khargone, Madhya Pradesh

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **816वी बैठक दिनांक 02.08.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 816वी बैठक दिनांक 02.08.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन के आदेश क्रमांक 1372 दिनांक 06.09.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.09.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

6. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/525036/2025 Case No. P2/1640/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha. for Production Capacity of 25000 cum per year (Stone making for M.Sand), at Khasra No. 283/1/1 Village- Padvai, Tehsil Dharampuri, District Dhar (MP) by Shri Ayush Patidar S/o Sudhir Patidar, R/o khalkhurd ward no 9, Near old Hospital, khalkhurd, khal buzurg, Khalghat, Dharampuri, Dhar (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **816वी बैठक दिनांक 02.08.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 816वी बैठक दिनांक 02.08.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार के आदेश कमांक 138 दिनांक 10.01.2025 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.01.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **स्टॉप डेम से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

7. Proposal No. SIA/MP/MIN/540028/2025 Case No. P2/1641/2025 Prior Environment Clearance for Murram Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha. for Production Capacity of 12000 cum per year, at Khasra No. 1782/1 Village- Bardiya Goyal, Teshil – Jaora, Distt. Ratlam (MP) by Shri Tikam Sisodiya, Lessee, R/o-Village Bardiya Goyal, Tehsil-Jaora, District- Ratlam, M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **816वी बैठक दिनांक 02.08.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 816वी बैठक दिनांक 02.08.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम के आदेश क्रमांक 1098 दिनांक 12.08.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.08.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 08 वृक्षों में से काटे जाने वाले 03 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 30 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जायें तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

8. Proposal No.: SIA/MP/MIN/537035/2025 Case No. P2/1645/25 Prior Environment Clearance for Murram Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for Production Capacity of of 5,000 m3 /year, at Khasra No. 115/2 (S), Village- Kadwalaiya, Tehsil- Barwaha, District Khargone (M.P.) by Shri Ritesh Kaushal S/o Shri Nemichand Kaushal R/o: Lodhi Mohalla Barwaha, Tehsil Barwaha, District: -Khargone, State: -Madhya Pradesh

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 816वी बैठक दिनांक 02.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर लीज क्षेत्र एक पहाड़ पर स्थित है जिसमें काफी संख्या में पेड़ होना एवं घना प्राकृतिक जंगल होना परिलक्षित है। SEAC द्वारा भी अपने कार्यवाही विवरण में उक्त लीज क्षेत्र में 75 पेड़ होने का उल्लेख किया गया है, इसके उपरांत भी पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत उक्त प्राकृतिक पेड़ों से घने पहाड़ पर प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की गई। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण निरस्त किये जाने के पूर्व SEAC से अभिमत लिया जाये।

प्रश्नाधीन प्रकरण में कलेक्टर जिला खरगौन का भी अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त लीज पहाड़ पर होने एवं पहाड़ पेड़ों से अच्छादित होने के उपरांत भी किस आधार पर लीज स्वीकृत की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

9. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519648/2025 Case No. P2/1576/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.70 ha. for Production Capacity of Stone – 32000 cum per year, Gitti – 6400 cum per year & M-Sand – 25,600 cum per year, at Khasra No. 511, 596, Village- Ambodiya, Tehsil – Ghattiya, District- Ujjain (MP) by M/s Alliance Quarries Mines Private Limited, Director Shri Vijay Kumar Pathak, R/o Ambodiya, tehsil-ghattiya dist. Ujjain (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **816वी बैठक दिनांक 02.08.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी कियें जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 816वी बैठक दिनांक 02.08.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन के आदेश क्रमांक 3015 दिनांक 22.11.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.11.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं आईसोलेटेड हट्स से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

10. Proposal No.: SIA/MP/MIN/537277/2025 Case No. P2/1522/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 2.00 ha. for Production Capacity of Gitti- 10,000 Cu.mt/year, M-Sand 10000 Cu.mt/year & Overburden 7895 Cu.mt/year, at khasra No. 6/1, Village -Matmur, Tehsil-Maheshwar, District- Khargone (M.P.) by Shri Pawan S/O Shri Kalu Singh Thakur R/O: Village Chifkhodara, Tehsil Pithampur District Dhar (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **816वी बैठक दिनांक** 02.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 816वी बैठक दिनांक 02.08.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन के आदेश कमांक 1821 दिनांक 28.11.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.11.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **निर्माणाधीन इण्डस्ट्रीयल एरियाए पक्की सड़क एवं स्ट्रक्चर से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

11. Proposal No.: SIA/MP/MIN/523009/2025, Case No. - 6053/2019Prior Environment Clearance for Chatua Granite/Dolerite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 7.00 ha., for Production Capacity of 10,000 Cum per year, at Khasra No. 116, 117, 127 & 128 PART, Village - Chatua, Tehsil & Distt. Anuppur (M.P.) by Shri Ram Babu Singh S/o Bishram Singh, A/145, Alkapuri, habibgang, Huzur, Bhopal 462042

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **817वी बैठक दिनांक 05.08.2025** में उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में Ammendment किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत ऑनलाईन दस्तावेजों एवं SEAC की अनुशंसा का परीक्षण करने के उपरांत पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 3979 दिनांक 14.01.2020 के माध्यम से उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष के लिये जारी की गई थी। उक्त पर्यावरण स्वीकृति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष के साथ ओवरबर्डन 156000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं Intercalated Waste 8528 घनमीटर प्रतिवर्ष जोड़े जाने हेतु Ammendment in EC में आवेदन किया गया है।

चूँकि उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष के साथ ओबरवर्डन एवं Intercalated Waste की मात्रा जोड़ने पर प्रकरण ईआईए अधिसूचना 2006 एवं बाद के संशोधनों अनुसार क्षमता विस्तार (Expension) का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

12. Proposal No.: SIA/MP/MIN/518162/2025, Case No. –P2/1716/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.430 ha., for Production Capacity of7368 cum per annum. at KhasraKhasra No. 109, 107/2 & 108/2, Village-Jonhi, Tehsil - Huzur, District-Rewa (M.P.) by Smt. Bharti Tripathi, C/O Sanjay Tripathi, R/o House no. 3018, ward no. 04 padranaibasti, Huzur, Rewa Madhya Pradesh 486001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **817वी बैठक दिनांक 05.08.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत ऑनलाईन दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि परिवेश पोर्टल पर अपलोड परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार के शपथ पत्र में किये गये हस्ताक्षर Original हस्ताक्षर न होकर स्कैन हस्ताक्षर लगाये गये है जिससे प्रतीत नहीं होता है कि दस्तावेजों पर किये गये हस्ताक्षर परियोजना प्रस्तावक के ही है अथवा किसी अन्य के है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र पर परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा किये गये हस्ताक्षर का अभिप्रमाणीकरण करवाये जाने हेतु पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये तथा SEAC द्वारा प्रकरण का Apprisal करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि प्रकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार के Original हस्ताक्षर ही हो Scan हस्ताक्षर नहीं लगे हों।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

13. Proposal No.: SIA/MP/MIN/504164/2024, Case No. P2/1715/2025Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 1.00 ha. for production Capacity 3,000 M3/year, at Khasra No. 01, Village - Chimghan Tehsil - Indergarh District - Datia (M.P.) by Shri Akash Udainiya S/o Shri Suresh Kumar R/o Ward No. 02, Tehsil - Indergarh, District – Datia (M.P.)- 475661

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **817वी बैठक दिनांक 05.08.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 817वी बैठक दिनांक 05.08.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दतिया के आदेश क्रमांक 708 दिनांक 10.10.2022 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.10.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

14. Proposal No.:SIA/MP/MIN/521703/2025, Case No P2/1713/2025Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area - 4.953 hectare, for Production Capacity 14,859 Cubic meters annum, at Khasra No. 54, at Village - Sonera Tehsil- Ashoknagar, District - Ashoknagar (M.P.) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Purushottam Pateriya Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **817वी बैठक दिनांक 05.08.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 817वी बैठक दिनांक 05.08.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2025 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replnishiment Stduy डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में भएक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहां से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन, संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

15. Proposal No.:SIA/MP/MIN/530542/2025,Case No 10809/2023Prior Environment Clearance for Dimensional Stone Deposit (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.237 ha. for Production Capacity of 7140 cum per year, at Khasra No. 208/1/2, Village-Ajayabnagar (Sund), Tehsil-Raisen, District Raisen (MP) by M/s Exclusive Resources Pvt. Ltd., Proprietor Shri Bhupendra Rao, R/o 121, Bhatiyani Chouhatta, Udaipur, Girwa, District Udaipur (RJ)-313001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **817वी बैठक दिनांक 05.08.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 817वी बैठक दिनांक 05.08.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायसेन के आदेश क्रमांक 1026 दिनांक 09.09.2022 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.09.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (**Cluster EMP**) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक **Site Specific Cluster EMP** को **EIA** के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक **Environment Cell** क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि **Cluster EMP** के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर **Cluster EMP**, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनन्दा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(viii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफ़ल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

16. Proposal No.: SIA/MP/MIN/455393/2023, प्रकरण क्र. P2/21/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल ओस्तवाल आत्मज श्री चन्द्रप्रकाश ओस्तवाल, निवासी– 14, पुराना अस्पताल रोड़ जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15105 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 146/1, ग्राम बड़ायला चौरासी, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 841वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

उक्त प्रकरण में SEAC के पत्र क्र. 65 दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से डॉ राजेन्द्र पाण्डेय, विधायक क्षेत्र क्र. 222 जावरा द्वारा की गई शिकायत की प्रति प्राधिकरण में दिनांक 20.03.2024 को प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत में ग्राम पंचायत बड़ायला चौरासी के ग्रामवासियों व सरपंच द्वारा लेख किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन के दौरान की जाने वाले ब्लास्टिंग से शासकीय हाई स्कूल एवं मकानों की छत व दीवारों को नुकसान पहुंचा है तथा कुछ समय पूर्व शासकीय हाईस्कूल में हादसा हुआ है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का भी पालन नहीं किया जा रहा है इत्यादि के दृष्टिगत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान न करते हुए योग्य कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त शिकायत की प्रति कलेक्टर, जिला रतलाम को भेजते हुए शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं के दृष्टिगत स्थल निरीक्षण उपरांत वास्तविक स्थिति के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोनजा प्रस्तावक को सूचित किया जाये।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 11.10.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं **SEAC** की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम के आदेश क्रमांक 1323 दिनांक 21.02.2018 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.02.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

17. Proposal No.: SIA/MP/MIN/529892/2025, Case No P2/1332/2025 Prior Environment Clearance for Flagstone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 4.00 ha., for production capacity of flagstone-6030 cum per annum, Khanda/Dhoka-540 cum per annum, Boulder-540 cum per annum & M-Sand-990 cum per annum, at Khasra No. 781/2, 765/1, 780, 792/2, 766/1, 778, 779, 768, 769, 770, 771, 774, 775/1, Village-Ujnethi, Tehsil- Shahgrah, District- Sagar (M.P.) by Shri Arvind Patel, R/O - Pandapura , Baghraj Ward, Sagar City District Sagar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795वी बैठक दिनांक 21.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 898वी बैठक दिनांक 25.09.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया निम्नानुसार पाया गया :–

1. *प्रस्तावित खदान में स्थित वृक्षों के संबंध में SEAC के कार्यवाही विवरण में यह स्पष्ट नहीं है कि लीज क्षेत्र में कितने वृक्ष हैं एवं किस–किस प्रजाति के है व उनके संरक्षण के क्या उपाय किये जायेंगे।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में मौजूद वृक्षों की संख्या एवं उनकी प्रजाति व उनके सरंक्षण के उपाय की विस्तृत जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।''

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 11.10.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 795वी बैठक दिनांक 21.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के आदेश कमांक 250 दिनांक 18.02.2025 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.02.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.09.2025 में चाही गई जानकारी पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत 15 दिवस के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

18. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/546965/2025**, प्रकरण कमांक 8851/2021 – परियोजना प्रस्तावक श्री सोनू कच्छवाहा आत्मज श्री मोतीलाल कच्छवाहा, निवासी–138, शंकरपुर, मक्सी रोड़, नियर एमपीएबी, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21463 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 307, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम गुनईखालसा, तहसील एवं जिला उज्जैन (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री आदित्य पाटवाला, निवासी– 72, सुख निवास, जिला इन्दौर (म.प्र.) के नाम किये जाने का आवेदन।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु फार्म–7 में ऑनलाईन आवेदन किया गया है जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड किया गये है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सोनू कच्छवाहा आत्मज श्री मोतीलाल कच्छवाहा, निवासी–138, शंकरपुर, मक्सी रोड़, नियर एमपीएबी, जिला उज्जैन (म.प्र.) के नाम पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21463 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 307, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम गुनईखालसा, तहसील एवं जिला उज्जैन (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री आदित्य पाटवाला, निवासी– 72, सुख निवास, जिला इन्दौर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र Identification No. - EC22B001MP119127 दिनांक 11.06.2022 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन का लीज हस्तांतरण आदेश क. 751 दिनांक 24.03.2025 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 09.08.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

19. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519409/2025, Case No. P2/279/2024, Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method), in an area of 4.660 ha. (As per SEAC recommendation mineable area is 1.80 ha.), for production capacity of 1850 Cum/Annum (As per SEAC recommendation), at Khasra No.: 583, Village-Guracha, Tehsil- Nagda, District- Ujjain (M.P.) by The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Shri Dinesh Sharma Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 790 वी बैठक दिनांक 07.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–**बी**) सहित प्र्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 896वी बैठक दिनांक 17.09.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" ***प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–***

प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC द्वारा 774वी बैठक दिनांक 18.02.2025 में परियोजना प्रस्तावक से " Project proponent to revise replenishment study based on minimum recent 03-year rainfall data." चाही गई थी किन्तु SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से 03 वर्ष की replenishment study डाटा प्राप्त किये बिना ही प्रकरण अनुशंसा कर प्रेषित किया गया।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक से 03 वर्ष का** replenishment study **डाटा 10 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS **दिनांक 23.10.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।**

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में 03 वर्ष की **Replenishment Stduy** प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total depostion	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
UJJAIN	GURACHA	583	2021-22	4.66	1097.6	4.8	0.04	1920	0.07	3360	3360	2016	0
			2022-23		1251.28	4.8	0.07	3360	0.10	4560	4560	2736	0
			2023-24		1071.7	4.8	0.10	5000	0.14	6720	6720	4032	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 911वी बैठक दिनांक 13.11.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC की 790 वी बैठक दिनांक 07.05.2025** की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2025 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replnishiment Stduy डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* **अनुसार लीज क्षेत्र के पास स्थित रोड़ ब्रिज के स्पैन की 10 गुना डाउन स्ट्रीम तरफ एवं 05 गुना अप स्ट्रीम तरफ दूरी छोड़ते** " नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 4.66 हे. में से मात्र 1.80 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में भएक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहां से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

20. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519514/2025, Case No. P2/305/2024, Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method), in an area of 5.0 ha. for production capacity of 2,000 Cum/Annum at Khasra No.: 1,272, Village- Alote Jagir, Tehsil- Nagda, District- Ujjain (M.P.) by The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Authorized Person Shri Dinesh Sharma, Bhopal, Paryawas Bhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 790 वी बैठक दिनांक 07.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–**बी**) सहित प्र्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 896वी बैठक दिनांक 17.09.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" ***प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–***

प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC द्वारा 774वी बैठक दिनांक 18.02.2025 में परियोजना प्रस्तावक से " Project proponent to revise replenishment study based on minimum recent 03-year rainfall data." चाही गई थी किन्तु SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से 03 वर्ष की replenishment study डाटा प्राप्त किये बिना ही प्रकरण अनुशंसा कर प्रेषित किया गया।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक से 03 वर्ष का** replenishment study **डाटा 10 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS **दिनांक 23.10.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार उक्त खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग पूरे वर्ष जलमग्न होना परिलक्षित है, जिस कारण उक्त खदान से रेत का खनन किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 911वी बैठक दिनांक 13.11.2025 का कार्यवाही विवरण

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु –

नीतिगत निर्णय – भवन निर्माण 8(a) एवं एरिया डेव्हलपमेन्ट 8(b) गतिविधियों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों बावत्।

EIA अधिसूचना 2006 एवं बाद के संशोधनों अनुसार भवन निर्माण 8(a) एवं एरिया डेव्हलपमेन्ट 8(b) गतिविधियों से संबंधित परियोजना हेतु किये गये प्रावधान यथावत रहेंगे। भवन निर्माण एवं एरिया डेव्हलपमेन्ट की परियोजनाओं में नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत/केन्द्रीय भूजल बोर्ड से जल प्रदाय संबंधी अनुमति, ठोस अपशिष्ट (MSW/Bio Medical Waste/Hazardous waste) के व्यवस्थापन एवं Treated Waste Water के व्यवस्थापन (Disposal) संबंधी आदि अनुमतियां समय पर न मिलने के कारण 8(a) एवं एरिया डेव्हलपमेन्ट 8(b) की पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदित परियोजनाओं के निराकरण में विलम्ब होता है जिसके दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन 1216/SEIAA/2019 दिनांक 20.06.2019 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

1. नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत/केन्द्रीय भूजल अथॉरिटी से जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट (MSW/Bio Medical Waste/Hazardous waste) के व्यवस्थापन (disposal) एवं Treated Waste Water के व्यवस्थापन (Disposal) आदि संबंधी अनुमतियों हेतु किये गये आवेदनों को इस शर्त के साथ मान्य किया जा सकेगा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 03 माह के अंदर उक्त सभी अनुमतियां प्राप्त कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेंगी अन्यथा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त मान्य होगी।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

परिशिष्ट –1

मानक शर्तें (भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु) :–

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–
   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.

8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network

9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.

11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.

12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

13. **For firefighting:-**
    a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC 2016.
    b. The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
    c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises

14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.

16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping

17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.

18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.

19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.

20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.

21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.

23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/ or http://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in

addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.